

**राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक: प.8(11)राज/वाद/24पार्ट-A

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

:: आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री रास बिहारी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/951/1999) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, नदबई जिला भरतपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, नदबई जिला भरतपुर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/— प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

**(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 जिला कलक्टर भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिवक्ता श्री रास बिहारी से विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैनुअल 1999 के नियम 16 के अनुरूप घोषणा पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण करावें।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 14 रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, विधि

Document certified by PRAMOD KUMAR MALIK <rhjspramod.malik@gmail.com>.

Digitally Signed by PRAMOD KUMAR MALIK
Designation: Secretary
Date :27-07-2026 06:16:46

**RajKaj Ref No.:
23637807**